



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235566
CG-DL-E-05052022-235566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1985]
No. 1985]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

का.आ. 2086(अ).—जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुच्चेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की उप-धारा 6(2) और (4) के साथ पठित उप-धारा 5(1)(के) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. सेल्वगनबेथी, संसद सदस्य (राज्य सभा) को जिपमेर, पुदुच्चेरी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

[फा. सं. जेड-16013/52/2018-आईएनआई-II]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, 29th April, 2022

S.O. 2086(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5(1) (k) read with sub-section 6 (2) & (4) of the Jawaharlal Institute of Post - Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), Shri. S. Selvaganbathy, Member of Parliament (Rajya Sabha) has been elected to serve as Member of the Institute Body of JIPMER, Puducherry.

[F. No. Z-16013/52/2018-INI-II]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor